

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of U.P. Undertaking)

14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

पत्रांक-3537-पें० एवं आर०-28/पाकालि/09-80-पी०एण्डआर०/98(टी०सी०-1),

दि०, 16 अगस्त: 2010

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-397-पी०एण्डआर०-28/पाकालि/2009-60-पी/98(टी०सी०-1) दिनांक 02.03.09 द्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उ०प्र० शासन की अनुरूपता में पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.06 से अनुमन्य कराने हेतु उ०प्र० शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अन्य शासनादेशों के साथ कार्यालय ज्ञाप सं०-3-1508-दस-2008-308-97, दिनांक 08.12.08 को अंगीकृत करते हुए पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अवशेष देयों के भुगतान की प्रक्रिया सेवारत कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्गत वेतन पुनरीक्षण आदेश संख्या-175-काविनी एवं वेतन प्रशा०-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे०प्र०-08, दिनांक 19.02.09 के प्राविधान के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त अनुक्रम में उ०प्र० शासन की अनुरूपता में कार्यालय ज्ञाप संख्या-397-पें०एवंआर०-28/पाकालि/2009-60-पें०एवंआर०/98 दिनांक 02.03.2009 के बिन्दु-3 के अंश-ख में उल्लिखित अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया को 80 वर्ष या उससे अधिक के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर हेतु निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

"80 वर्ष या उससे अधिक के आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा। पूर्व में भुगतान की गई धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को अविलम्ब एक मुश्त नकद भुगतान किया जायेगा।"

उपरोक्त के अतिरिक्त कारपोरेशन के उक्त ज्ञाप में निहित अन्य व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेगी।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

संख्या:-3537-पें० एवं आर०-28/पाकालि/10 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पाकालि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, लखनऊ।
3. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रंस्को।
5. समस्त निदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अपर सचिव-1/2, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ट्रंस्को।
8. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

माई कम्प्यूटर/डी/बैक आप माई डाक्यूमेंट/पेंशन/lal sir

कमश:-2


16/8/10

16/8/10

11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/डिस्कॉम्स/ट्रांस्को।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
13. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेंट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
15. अध्यक्ष फेडरेशन आफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
16. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बीरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.07.10 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय सं०-चौरासी(69)/10 के सन्दर्भ में।
19. कट फाइल।

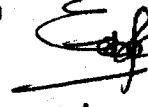
आज्ञा से,



(रज्जन लाल)

अपर सचिव (अरा०)

वेज
16/8/10



16/8/10